

## न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

क्रमांक: क्यू/मु.न्या.मजि./2020.

रायपुर, दिनांक 01.12.2020.

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेश क्रमांक-79 (Mis)/II-14-1/2020, बिलासपुर, दिनांक-15.07.2020 के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना (COVID-19) के रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 16.11.2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में अत्यावश्यक कार्यों को छोड़कर शेष न्यायालयीन कार्य स्थगित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के आदेश क्रमांक-114(Mis)/II-14-1/2020, बिलासपुर, दिनांक-16.10.2020 के द्वारा दिनांक-17.11.2020 से न्यायालयों का नियमित एवं सामान्य कामकाज चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रारंभ किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके अनुपालन में दिनांक-01.12.2020 से दिनांक-15.12.2020 तक अत्यावश्यक कार्य को सुचारु रूप से किये जाने बाबत निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, की अत्यावश्यक कार्य किये जाने हेतु ड्यूटी लगायी जाती है, जो दोपहर के 03:00 बजे से न्यायालय में मय स्टाफ के उपस्थित होकर अत्यावश्यक कार्य आदि सम्पादित करेंगे।

क्रमांक	अत्यावश्यक कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	अत्यावश्यक कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	अत्यावश्यक कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
01.	02.	03.	04.	05.
01.	श्री विजेन्द्र सोनवानी	श्री ईशान व्यास	श्रीमती कल्पना भगत	01.12.2020
02.	डॉ. सुमित सोनी	कु. चेतना ठाकुर	श्री दीपक कुमार शर्मा	02.12.2020
03.	श्री पंकज आलोक तिकी	श्री गिरिवर सिंह राजपूत	कु. मंजूषा टोप्यो	03.12.2020
04.	श्री पवन कुमार अग्रवाल	कु. नम्रता नोरगे	श्री विरेन्द्र सिंह	04.12.2020
05.	श्री राहुल शराफ	श्री हिमांशु आर्य	श्री आशीष भगत	05.12.2020
06.	कु. संजूलता देवांगन	श्री गिरिवर सिंह राजपूत	कु. मंजूषा टोप्यो	06.12.2020
07.	डॉ. सुमित सोनी	श्री कुष्ण मुरारी शर्मा	श्री नीरज श्रीवास्तव	07.12.2020
08.	श्री जनक कुमार हिडको	कु. चेतना ठाकुर	कु. संजूलता देवांगन	08.12.2020
09.	श्री ओमप्रकाश साहू	कु. रूपल अग्रवाल	कु. प्रीति नागवंशी	09.12.2020
10.	श्री विजेन्द्र सोनवानी	श्री ईशान व्यास	श्रीमती कल्पना भगत	10.12.2020
11.	श्री दीपक कुमार शर्मा	श्री कुष्ण मुरारी शर्मा	श्री नीरज श्रीवास्तव	11.12.2020
12.	श्री राहुल शराफ	श्री हिमांशु आर्य	श्री आशीष भगत	12.12.2020
13.	श्री ओमप्रकाश साहू	कु. प्रीति नागवंशी	श्री विरेन्द्र सिंह	13.12.2020
14.	श्री जनक कुमार हिडको	कु. चेतना ठाकुर	कु. संजूलता देवांगन	14.12.2020
15.	श्री पवन कुमार अग्रवाल	कु. रूपल अग्रवाल	कु. नम्रता नोरगे	15.12.2020

नोट:-

- (1) उपरोक्त दिवसों में **स्तम्भ क्रमांक-2** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा समस्त आरक्षी केन्द्र या अन्य किसी विभाग/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही, रिमाण्ड से संबंधित समस्त जमानत आवेदन पत्र के निराकरण की कार्यवाही, की जावेगी, किन्तु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उन मामलों में जमानत आवेदन पत्र के निराकरण की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा ही की जावेगी।
- (2) उपरोक्त दिवसों में **स्तम्भ क्रमांक-3** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा समस्त आरक्षी केन्द्र या अन्य किसी विभाग/संस्था से संबंधित समस्त सुपुर्दनामा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के निराकरण की कार्यवाही, धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन लिये जाने की कार्यवाही की जावेगी, किन्तु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उन मामलों में सुपुर्दनामा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता के निराकरण की कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा ही की जावेगी।
- (3) उपरोक्त दिवसों में **स्तम्भ क्रमांक-4** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा समस्त आरक्षी केन्द्र या अन्य किसी विभाग/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रथम रिमाण्ड को छोड़कर शेष रिमाण्ड कार्यवाही, समस्त जेल वारण्ट में आगामी तिथि दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

- (4) उपरोक्त दिवसों में अत्यावश्यक मामले यथा- 60 दिवस/90 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने वाले अभिरक्षाधीन मामलों के अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए **स्तम्भ क्रमांक-2** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या कार्य दिवस पर संबंधित न्यायालय के यहाँ प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसके अलावा किसी विधि के अधीन समयावधि में प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्र/समरी प्रकरण भी **स्तम्भ क्रमांक-2** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के यहाँ या कार्य दिवस पर संबंधित न्यायालय के यहाँ प्रस्तुत किये जा सकेंगे, किन्तु उक्त अभियोग पत्र के अलावा अन्य अभियोग पत्र रोस्टर पद्धति से कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के ही न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (5) अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने वाले **स्तम्भ क्रमांक-4** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सत्र न्यायालय/माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश के निष्पादन की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी तथा **स्तम्भ क्रमांक-2** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित जमानत आदेश के निष्पादन की कार्यवाही **स्तम्भ क्रमांक-2** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा ही सम्पादित की जावेगी।
- (6) अन्य कोई ऐसा अत्यावश्यक कार्य, जिसका उल्लेख इस आदेश में नहीं किया गया है, उक्त अत्यावश्यक कार्य **स्तम्भ क्रमांक-2** में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
- (7) यदि किसी अत्यावश्यक कार्य करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत या पूर्व से किसी न्यायालय में प्रस्तुत या लंबित किसी अत्यावश्यक आवेदन पर कोई कार्यवाही शेष रहती है और उक्त कार्यवाही आगामी दिवस पर अत्यावश्यक कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी है तो संबंधित आवेदन एवं समस्त दस्तावेजों को आगामी तिथि पर अत्यावश्यक कार्य करने वाले न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु पेश किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की होगी।
- (8) अत्यावश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत आवेदन पत्र/सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, तब उनके द्वारा ही आगामी तारीख के लिए सुनवाई नियत कर संबंधित आरक्षी केन्द्र से केस डायरी और प्रतिवेदन आहूत कर संबंधित अत्यावश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जावेगा।
- (9) यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य करने हेतु असमर्थ हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
- (10) अत्यावश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर को संदर्भित किया जावेगा तथा उक्त विवाद का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

ok

(भूपेन्द्र कुमार वीसनीकर)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- (2) कु./श्री/श्रीमती .....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर को तथा अपने-अपने न्यायालयीन कर्मचारियों को उल्लेखित कार्य दिवस पर उपस्थित होने हेतु सामान्य विधि से अथवा ई-मेल या वाट्सएप के माध्यम से सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) पुलिस अधीक्षक, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
- (4) जिला अभियोजन अधिकारी रायपुर को अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।
- (5) रक्षित निरीक्षक रायपुर की ओर अत्यावश्यक/रिमाण्ड ड्यूटी के दिन संबंधित कोर्ट मोहरीर की कोर्ट में उपस्थिति बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

ok

(भूपेन्द्र कुमार वीसनीकर)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायपुर (छ.ग.)